मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा
न्यू कलेक्ट्रेट भवन कमरा नं.12 प्रथम तल रीवा (म.प्र.)

::द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचनाः

क्रमांकः– म0प्र0 औ.के.वि.नि.(रीवा)/स्था/2018 रीवा, दिनांक 22.01.2018

म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम रीवा लिमिटेड रीवा को अपने मुख्यालय, शाखा कार्यालय तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित प्रशासकीय तथा तकनीकि कार्यो के निष्पादन के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रथमतः एक वर्ष के लिये आउट सोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की आवश्यकता हैं।

कार्यालय का नाम	कनिष्ठ यंत्री	कम्प्यूटर आपरेटर	वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार
1	2	3	5	6
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा	02	01	शासन/श्रमायुक्त म0प्र0 द्वारा उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित दर से	आउटसोर्स
योग	**02**	**01**		

उपरोक्त स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से कर्मचारी प्रदाय करने हेतु भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से सीलबंद निविदाएँ दिनांक 29.01.2018 दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 29.01.2018 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के आवेदन प्रपत्र एवं शर्तें, अनुबंध प्रपत्र आदि दिनांक 29.01.2018 तक प्रतिदिन 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा से रू. 5000.00 (रूपये पॉच हजार) डी.डी. जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। नियत समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। पदों की सीमा को घटाने एवं बढ़ाने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा को होगा। शर्तें एवं अनुदेश रीवा निगम की वेबसाईट www.akvnrewa.com में भी देखा जा सकता है।

महाप्रबन्धक
कृते प्रबन्ध संचालक

निविदा शर्तें

1. निविदाकार को कार्यालय द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा समय सीमा में प्रस्तुत करना होगा।
2. आउटसोर्स कर्मचारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पृथक–पृथक दर उपलब्ध कराना होगा।
3. पदों की सीमा को घटाने एवं बढ़ाने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा को होगा।
4. सफल निविदाकारों को निम्नाकित आउटसोर्स कर्मचारियों के योग्यतानुसार वांछित सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। उक्त पदों की योग्यता निम्नानुसार होगीः–

क्रमांक	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	वांछित अर्हताए
1	कनिष्ठ यंत्री	डिप्लोमा / सिविल इंजीनियरिंग	सिंविल कार्यो का 02 वर्ष का अनुभव
2	कम्प्यूटर आपरेटर	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.सी.ए. हिन्दी टायपिंग एवं अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान	03 वर्ष का कार्य अनुभव तथा सी.पी.सी.टी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं एवं इंटनेट संबंधी समस्त कार्य के अनुभव

5. सीलबंद निविदाऍ मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा को दिनांक 29.01.2018 को दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी। निविदाऍ उसी दिन उपस्थित निविदाकारों के समक्ष सायं 4.00 बजे खोली जावेगी। नियत समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. निविदाकारों को निविदा के साथ रू. 50,000 (रूपये पचास हजार) मात्र की अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट रूप में जमा करना होगा। जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत नहीं होगी, उन्हे अमानत राशि वापस कर दी जावेगी।
7. सेवा प्रदाता संस्था के लिये अपेक्षित है कि निम्नांकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां निविदा प्रपत्र भाग 1 के साथ संलग्न करेंः–
    1. आवेदक संस्था का पंजीयन प्रमाण–पत्र
    2. पैन / जीआईआर कार्ड की प्रति
    3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए दाखिल आईटी विवरणी की प्रति वार्षिक टर्न ओवर रूपये 50 लाख से उपर।
    4. ईपीएफ एवं ईएसआई प्रमाण पत्रों की प्रतियां
    5. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
    6. बैंक खाते की प्रमाणित प्रतियां जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान लेन–देन किए गए हों।
    7. सेवा प्रदाता एजेंसी / संस्था के पास शासकीय विभागों / उपक्रमों / बैंकों / निर्वाचन कार्य आदि में 50 कर्मचारी उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिए।
8. किसी भी संस्था / एजेंसी का चयन मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा के अनुमोदन अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जावेगा।
9. निविदाऍ स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा को होगा तथा बिना कोई कारण बताए सभी निविदाऍ निरस्त करने का अधिकार होगा। प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, इसके विरूद्ध किसी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।

10. आउटसोर्स कर्मचारियों को एजेंसी द्वारा वेतन भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत शासन एवं श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।
11. आउटसोर्स पर सेवाए देने वाली एजेंसी/व्यक्ति को शासन को देय जी.एस.टी, की राशि का भुगतान करना होगा
12. सफल निविदाकार का चयन तकनीकी निविदा में पात्र होने पर न्यूनतम मासिक सेवा शुल्क के आधार पर होगा जो पद वार वित्तीय निविदा प्रपत्र में quote करना होगा।
13. सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष पु0(सा0) 35 वर्ष आरक्षित वर्ग अ0जा0, अ0ज0जा0, अन्य पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष एवं म0प्र0 सिविल सेवा (महिलाओ की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा विधवा परित्याक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रभावशील रहेगी तलाकशुदा महिला को तलाक के संबंध में न्यायालय या जाति रिवाज के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परित्याक्ता महिला को राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम का न हो, का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित महिला को विवाह के पश्चात उसके पति ने औपचारिक रूप से तलाक प्राप्त किए बिना छोड़ दिया है और उसे उसके पति से कोई गुजारा भत्ता भी प्राप्त नही हो रहा है।
14. सफल निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत किसी भी औद्योगिक क्षेत्र एवं शाखा कार्यालय में पदस्थ किया जावेगा, जिसके लिये वह बाध्य होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
15. सफल निविदाकार के चयनित आउटसोर्स पदों पर उपलब्ध कराये गये कर्मचारी नियमित नहीं माने जावेंगे तथा किसी भी समय उन्हे पद से पृथक किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के दावे के लिये निविदाकार उत्तरदायी होगा।
16. सफल निविदाकार नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि और न्यूनतम मजदूरी के संबंध में साविधिक उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी ऐसे दस्तावेजों या सूचनाओं से अवगत होंगे जो गोपनीय हैं। अतः उन्हे गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और इस शर्त का उल्लंघन करने पर सेवा प्रदाता संस्था के साथ–साथ संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध सुसंगत उपबन्धों या भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक दण्ड संहिता के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही के भागी होंगे। इस संबंध में सभी नियुक्त कर्मचारियों को लिखित में प्रपत्र में शपथ देना होगा।
18. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से पुलिस वेरीफिकेशन कराना होगा।
19. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी नियमित नहीं माने जायेंगे तथा कर्मचारी द्वारा इस प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
20. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा। यदि उनके द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो निविदा अस्वीकृत की जाकर जमा की गई अमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात की जावेगी तथा उनके द्वारा किए गये कार्यों का कोई भुगतान नही किया जावेगा।
21. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उनकी उपस्थिति के आधार पर बैंक के माध्यम से ई–भुगतान पद्धति से किया जावेगा।
22. आउटसोर्स कर्मचारियों को मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा के कार्य हेतु अवकाश के दिवसों पर भी बुलाया जा सकता है। किसी भी समय कार्य करने हेतु बाध्य रहेगा। सामान्य रूप से कार्य की अवधि प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। जिनका भुगतान पृथक से नहीं किया जायेगा।

23. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा को रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम रहेगा। उनके निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।
24. सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के अर्थों के अन्तर्गत सेवा प्रदाता ''नियोक्ता'' होगा।
25. सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारी को अपने कार्यों/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान चोट लगने या किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिये प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा उत्तरदायी नहीं होगा।
26. सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारी सेवा समाप्ति के पश्चात् या सेवा के दौरान शासन के नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं भत्तों और वेतन के न तो हकदार होंगे और न ही इसका कोई दावा कर सकेंगे।
27. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी यदि अपने कार्य से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके वेतन की अनुपातिक कटौती की जावेगी।
28. प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (री) लि0 रीवा को यह अधिकार होगा कि वह संविदाकार एजेंसी को एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध किसी समय रद्द किया जा सके।
29. सफल निविदाकार को रू. 500.00 के नान जुडिसियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा निष्पादित अनुबन्ध अनुसार कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा।
30. निविदा दो भाग में प्रथम तकनीकी एवं द्वितीय वित्तीय का पृथक–पृथक लिफाफा स्वीकार होगा।

महाप्रबन्धक
कृते प्रबन्ध संचालक

आउट सोर्स से कनिष्ठ यंत्री /कम्प्यूटर आपरेटर की सेवाएँ प्रदान करने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं से निविदा आमंत्रित किये जाने वाला

प्रपत्र

निविदा प्रपत्र–तकनीकी /अर्हता (Part 1)

1. निविदाकार संस्था का नाम :–..
....
....

2. संस्था के प्रोपाईटर/संचालक का नाम...
....
....

3. संस्था के पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता...
....

..................दूरभाष क्रमांक...फैक्स क्रमांक...............................

.....................................ई–मेल का पता..

4. सेवा प्रदाता संस्था का पंजीयन क्रमांक...दिनांक....................................

(पंजीयन के दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

5. सेवा प्रदाता संस्था का बैंक विवरण :–बैंक का नाम..

बैंक शाखा का नाम....................................बैंक का **IFSC No** –...

(पिछले तीन वर्षो के आय व्यय लेखा के विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न करें) ....

6. सेवा प्रदाता संस्था का पिछले तीन वर्षो का टर्न ओवरः–

वित्तीय वर्ष	राशि (रू लाख में)	टिप्पणी यदि कोई हो
2014–15		
2015–16		
2016–17		

7. सेवा प्रदाता का ई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....

(सत्यापित प्रति संलग्न करें)

8. सेवा प्रदाता का ई0एस0आई0 रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....

(सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. सेवा प्रदाता का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....
(सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में इसप्रकार के प्रदाय की गई संविदा संवाओं अनुबंधो का निम्नलिखित प्रारूप में विवरणः—

स. क्र.	विभाग / संस्था का नाम / पता / दूरभाष एवं फैक्स नं.	प्रदाय की गई सेवा का विवरण		संविदा अनुबंध की राशि (रू लाख में)	संविदा की अवधि	
		सेवा का प्रकार	संख्या		से	तक
1	2	3	4	5	6	7

11. अमानत की राशि का विवरणः

डी.डी. क्रमांक.. दिनांक..

राशि..

12. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक देय सभी प्रभारों का राज्य शासन को भुगतान किये जाने का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

13. क्या सेवा प्रदाता संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार के किसी सक्षम न्यायालय में दावा / वाद या कोई प्रकरण विचाराधीन / प्रचलित है। यदि हॉ तो विवरण पृथक संलग्न करें ।

घोषणा

1. मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....उपर्युक्त सेवा प्रदाता संस्था का प्रोपाइटर/निर्देशक/प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा को एवं इस संविदा दस्तावेज को हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूॅ

2. मैने संविदा की सभी शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ा एवं समझ लिया है और मै उन्हे मानने का वचन देता हूॅ।

3. उपर्युक्त निविदा प्रपत्र के साथ प्रदान की गई सूचना/प्रस्तुत एवं संलग्न किये गये दस्तावेज मेंरी सर्वोच्च जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक है। मुझे/हमें यह अच्छी तरह ज्ञात है कि किसी प्रकार की झूठी सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से किसी भी चरण में हमारी संविदा सेवा निरस्त कर दी जावेंगी और इसके साथ–साथ उपर्युक्त विधि के अन्तर्गत देयता के लिए विधिसंगत कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

प्राधिकृत अधिकारी/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

संस्था की मुहर

वित्तीय निविदा प्रपत्र (Part 2)

1. कनिष्ठ यंत्री /कम्प्यूटर आपरेटर की सेवाओं के लिए दिए जाने वाले वेतन का विवरण एव Quotation :–

क्र0	पद	भुगतान की दर रूपये प्रति पद					कुल राशि
		मूल वेतन	ई.पी.एफ (E.P.F)	ई.एस.आई (E.S.I.C)	जी.एस.टी. (G.S.T)	संस्था का सेवा प्रभार	
1	कनिष्ठ यंत्री						
2	कम्प्यूटर आपरेटर						

- वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत शासन/श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित उक्त दर से देय होगा।

प्राधिकृत अधिकारी/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

संस्था की मुहर